सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 43 / प्रा0पत्र / 2023 दायरा दिनांक :—24.03.2023

GCMS ID—2023 / 59

उनवान

1. किशना देवी पत्नी रतनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बिशनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीया

बनाम

1. शोजी आ0 बरधा जाति मीणा निवासी बिशनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. मथरीबाई पत्नी उद्दाराम जाति मीणा निवासी बिशनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. रतनलाल आ0 बलदेव जाति मीणा निवासी बिशनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थीगण :— श्री शम्भूदयाल शर्मा
वकील अप्राथीगण 1 लगायत 3 :— एक पक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 4 :— पेरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 28.02.2025

प्रार्थीया का मुख्य रूप से कथन है कि प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि 941 / 697 रकबा 0.8093 है0 वाके ग्राम बिशनपुरा पटवारा मण्डल थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो जमाबंदी संवत् 2076—2079 की खतौनी संख्या 184 में प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के समीप अप्रार्थीगण प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की भूमियां है तथा एक तरफ सडक है। अप्रार्थीगण व प्रार्थीया की भूमि के मध्य कोई सीमा चिन्ह मुस्तकिल निशान नहीं है तथा प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की भूमियों के मध्य कोई मुस्तकिल निशान व सीमा चिन्ह नहीं होने से पक्षकारों के मध्य सीमाबंधी को लेकर आए दिन विवाद होता रहता है। प्रार्थीया अपनी भूमि की सीमा पर स्थाई बाउण्ड्री व तार फैंसिंग करवाना चाहती है लेकिन अप्रार्थी 1 लगायत 3 प्रार्थीया का तार फैंसिंग व बाउण्ड्री वॉल नहीं करने दे रहे हैं। अप्रार्थीगण का कहना है कि हमारी उपस्थिति में तुम्हारी भूमि की पत्थरगढी कराने के उपरांत ही हम आपकी भूमि की तार फैंसिंग करने देंगे। पक्षकारान के मध्य सीमाबंदी को लेकर आए दिना विवाद होता रहता है तथा मुस्तकिल निशान के बिना अप्रार्थी संख्या 2 आए दिन भूमि की मेडों को तोडती है तथा सीमाबन्दी को

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

लेकर वाद विवाद करती है इस कारण आपस में तनाव बना रहता है। प्रार्थीया पडोसियों से किसी प्रकार झगडा व तनाव नहीं रखना चाहती है। इस कारण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि की प्रार्थीया अप्रार्थीगण की उपस्थिति में 05.03.2023 को आपसी सहमति से पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण सहमत नहीं हुए। साथ ही अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को धमकी दी कि हमारी मोजूदगी में पत्थरगढी करवाए बिना हम तुम्हारी भूमि पर तार फैंसिंग/बाउण्ड्री वॉल नहीं करने देंगे और प्रार्थीया की भूमि के तार फैंसिंग व बाउण्ड्री बॉल नहीं करने देने के कारण प्रार्थीया की फसल को आवारा मवेशी नष्ट करते हैं। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 05.03.2023 का आपसी सहमति से पत्थरगढी करवाने से इंकार कर देने से प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थीया नियमानुसार पत्थरगढी की राशि राजकोष में जमा कराने को तत्पर है। प्रार्थीया की भूमि ग्राम बिशनपुरा पटवार मण्डल थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थिति होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। पत्थरगढी का कार्य का संपादन तहसीलदार साहब हिण्डोली द्वारा किया जाना है इस कारण राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्यायशुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 941/697 रकबा 0.8093 है0 वो ग्राम बिशनपुरा तहसील हिण्डोली की पत्थरगढी अप्रार्थीगण की मौजूदगी में करवाने को आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थीया नियमानुसार/आदेशानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जरिए नोटिस की गई जिस पर अप्रार्थी नम्बर 01 लगायत 03 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार हिण्डोली से विवादित भूमि की वस्तुस्थिति की जॉच रिपोर्ट न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर उनके द्वारा पत्रांक :– राजस्व/24/3196 दिनांक :– 13.11.2024 से जॉच रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि ग्राम बिशनपुरा की आराजी खंसरा संख्या 941/697 रकबा 0.8093 हैक्टेयर भूमि किशना पत्नी रतनलाल कौम मीणा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त भूमि मौके पर हकत कर रखी है तथा वर्तमान में खातेदार स्वयं काबिज है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थीया को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम बिशनपुरा पटवार मण्डल थाना तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 184 के अनुसार प्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खसरा नं. 941/697 रकबा 0.8093 हैक्टेयर, वाके ग्राम बिशनपुरा पटवार मण्डल थाना तहसील हिण्डोली में प्रार्थीया से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीया व आराजी के पडौसी खातेदारान की मौजूदगी उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में सीमा ज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहर्रीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446